न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रार्थना पत्र संख्याः– दिनांक :–

–: आदेशः–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' व 'बी' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम बीनासर तहसील चूरू के खसरा नम्बर 1194/210, 1196/210 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। सरपंच ग्राम पंचायत बीनासर एवं उक्त खसरा नम्बर 1194/210, 1196/210 के खातेदारों का अन्नापति प्रमाण पत्र/सहमति–पत्र संलग्न किया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि रोही ग्राम बीनासर तहसील चूरू खसरा नम्बर 1194/210, 1196/210 में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–'ए' में वर्णितानुसार करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:33 IST
Reason: SelfAttested